



कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

राजस्व शाखा – साकेत भवन, आई.टी.आई.चौक, कोरबा (छ0ग0)

दूरभाष : 07759-221288, फ़ैक्स : 07759-221929, पो.बाक्स नं. 12 पिन कोड – 495677

Website : www.korbamunicipal.in, Email : corporationkorba@gmail.com

फा.क. / राजस्व / तीन / 2017 8658

कोरबा दिनांक 29-6-2017

आम-सूचना

सर्व साधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत स्थित निम्नलिखित कांजीघरों की नीलामी वित्तीय वर्ष 2017-2018 हेतु (1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018 तक) के लिए निगम के "साकेत भवन" कार्यालय में दिनांक 11.07.2017 को दिन के 11.00 बजे की जावेगी। नीलामी की विस्तृत शर्तें निगम कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर देखी जा सकती है एवं निगम के वेबसाइट www.korba municipal.in पर भी उपलब्ध हैं।

क.	कांजीघर का नाम	बोली बोलने के लिए निर्धारित अमानत राशि
1.	कोरबा कांजीघर (सीतामणी)	10,000 /-
2.	बालको परसाभाटा कांजीघर	5,000 /-
3.	जमनीपाली कांजीघर	5,000 /-
4.	आदर्श नगर क - 02 वार्ड क 56 (चुनचुनी बस्ती) कांजीघर	5,000 /-
5.	गजरा कांजीघर	7,000 /-
6.	बलगी कांजीघर	5,000 /-

नोट :- अमानत राशि ड्राफ्ट या बैंकर चेक के द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा। जो आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा के पक्ष में देय होगा।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

राजस्व शाखा — साकेत भवन, आई.टी.आई.चौक, कोरबा (छ0ग0)

दूरभाष : 07759-221288, फैक्स : 07759-221929, पो.बाक्स नं. 12 पिन कोड - 495677

Website : www.korbamunicipal.in, Email : corporationkorba@gmail.com

// 2 //

नीलामी की शर्तें

1. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को प्रत्येक उल्लेखित कांजीघरो के लिए अलग-अलग निर्धारित अमानत राशि ड्राफ्ट या बैंकर चेक के द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा । जो आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा के पक्ष में देय होगा ।
2. अनुमानित राशि से बोली कम आने पर नीलामी स्थगित करने का अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकार होगा ।
3. बोली समाप्त होने पर संपूर्ण राशि तत्काल निगम कोष में जमा करना होगा ।
4. ठेकेदार द्वारा निर्धारित किश्त की राशि देय होने पर जमा न करने पर नगर पालिक निगम कोरबा को ठेका रद्द करने का अधिकार होगा ।
5. ठेकेदार नगर निगम परिशिष्ट - 01 में निर्धारित दरों पर ही कांजीघर की वसूली करेगा ।
6. ठेकेदार द्वारा कांजीघर शुल्क हेतु नगर पालिक निगम द्वारा प्रदत्त रसीदों, कांजीघर रसीद टिकटों का ही प्रयोग करेगा । जो आवश्यक राशि जमा करने पर आवश्यकतानुसार नगर पालिक निगम कार्यालय से प्राप्त कर सकेगा ।
7. नगर पालिक निगम द्वारा प्राप्त कांजीघर रसीदों का नियमित रूप से उपयोगिता प्रमाण पत्र ठेकेदार को प्रतिमाह प्रस्तुत करना होगा ।
8. कांजीहाउस में कोई भी नागरिक पशुओं को कभी भी बंद कर सकेगा ।
9. कांजीघर में जानवर बंद होने के 01 घंटे बाद खुराक दी जावेगी एवं दूसरी खुराक सायं 6.00 बजे दी जावेगी । इस प्रकार कांजीघर में बंद जानवरों को दिन में 02 बार खुराक देना अनिवार्य होगा ।
10. कांजीघर में मवेशी 6.00 बजे सुबह से सायं 6.30 बजे तक निर्धारित खुराक एवं दण्ड जमा करने पर मवेशी रिहा किया जा सकेगा ।
11. कांजीहाउस में 15 दिवस के अवधि के अंदर मवेशी स्वामियों द्वारा मवेशी नहीं छुड़ाने की दशा में उक्त मवेशी को सार्वजनिक नीलामी किया जावेगा । नीलामी नगर पालिक निगम के द्वारा अधिकृत अधिकारी या कर्मचारी की उपस्थिति में की जावेगी । नीलामी के पश्चात जो राशि प्राप्त होगी उसका 75 प्रतिशत नगर पालिक निगम कोरबा एवं 25 प्रतिशत ठेकेदार को प्राप्त होगी ।
12. किसी भी जानवर के दूध पीता बच्चे जो कांजीघर में लाये जाने वाले जानवरों के साथ मे हो तो निर्धारित शुल्क तथा जुर्माना से मुक्त रहेगा तथा 6 मास की आयु के उपर पर जुर्माने व खुराक दर आधी रहेगी ।
13. शासकीय एवं नगर पालिक निगम तथा सार्वजनिक बाग एवं मुख्यमार्ग तथा नगर पालिक निगम क्षेत्र से अवरोध हेतु लाये जाने वाले पशुओं पर निर्धारित दर से दुगुना दण्ड लिया जावेगा ।
14. ठेकेदार को नगर पालिक निगम क्षेत्र में किसी भी सार्वजनिक सड़क में अवरोध पैदा करने वाले मवेशियों को हटाने तथा कांजीघर में बंद करने का अधिकार होगा ।
15. ठेकेदार निम्नलिखित शर्तों में अवरोध पैदा करने वाले आवारा पशुओं हटाने तथा यथा संभव कांजीघर में बंद करने हेतु उत्तरदायी होंगे ।
 1. छ.ग.रा.वि.मं. चौक से सीतामणी चौक तक ।
 2. छ.ग.रा.वि.मं. चौक से कोसाबाड़ी रजगामार रोड़ चौक तक ।
 3. छ.ग.रा.वि.मं. चौक से आई.टी.आई. होते हुए तहसील कार्यालय तक ।
 4. बॅराज से सी.एस.ई.बी. कार्यालय दर्सी तक ।
 5. अन्य सभी मुख्य मार्ग एवं नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्र ।

कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

राजस्व शाखा — साकेत भवन, आई.टी.आई.चौक, कोरबा (छ0ग0)

दूरभाष : 07759-221288, फैक्स : 07759-221929, पो.बक्स नं. 12 पिन कोड - 495677

Website : www.korbamunicipal.in, Email : corporationkorba@gmail.com

// 3 //

- उपरोक्त सड़को पर रास्ता अवरुद्ध करते हुए यदि आवारा मवेशी पाये जाते हैं, तो प्रति बार नगर पालिक निगम आयुक्त कोरबा को यह अधिकार होगा कि वह उक्त क्षेत्र के ठेकेदार पर प्रति मवेशी की 25/- तक पेनालटी लगा सकेगा।
16. सर्वाजनिक सड़क पर अवरुद्ध करने वाले आवारा जानवरों को किसी भी व्यक्ति द्वारा कांजी हाउस में बंद कराने पर उस व्यक्ति को जुर्माने की राशि का 20/- ठेकेदार द्वारा भुगतान किया जावेगा। मवेशी ठेकेदार स्वयं अथवा अपने द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा यह कार्य किया जाता है तो जुर्माने की 20/- राशि का भुगतान किया जाना आवश्यक नहीं होगा।
 17. कांजीघर नीलामी समाप्त होने पर संबंधित ठेकेदार को एक अनुबंध पत्र मुद्रांकन अधिनियम अनुच्छेद 35ख के तहत निर्धारित राशि के स्टाम्प पर करना होगा। तथा शेष राशि की अदायगी के संबंध में सक्षम व्यक्ति का एक जमानत नामा भी प्रस्तुत करना होगा। उसके उपरांत ही वसूली का अधिकार प्रदान किया जावेगा।
 18. ठेकेदार नगर निगम कार्यालय द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के पालन के लिए बाध्य होगा अन्यथा निगम को अधिकार होगा कि उसका ठेका निरस्त कर दें।
 19. नीलामी के उपरांत किसी प्रकार की छूट पाने या इस संबंध में दावा करने का अधिकार ठेकेदार को नहीं होगा।
 20. नगर पालिक निगम के अधिकारी अथवा अधिकृत कर्मचारी समय-समय पर कांजीघर व्यवस्था एवं वसूली की जांच कर सकेंगे तथा ठेकेदार द्वारा उनके कार्यकर्ता द्वारा इसमें किसी प्रकार कि कोई आपत्ति व हस्तक्षेप नहीं किया जावेगा।
 21. ठेकेदार द्वारा निर्धारित किश्त की राशि निर्धारित अवधि में जमा न करने पर निगम को अधिकार होगा कि यह ठेका निरस्त कर दें एवं अमानत राशि जप्त कर लें। एवं शेष अवधि के लिए कांजीघर को पुनः नीलामी कर सकेगा / विभागीय वसूली कर सकेगा। ठेका निरस्त होने की स्थिति में निगम को जो भी आर्थिक क्षति होगी उसकी वसूली ठेकेदार से कराने का अधिकार निगम को होगा।
 22. नीलामी की बोली का अनुमोदन आयुक्त/नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के तहत नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा प्रदत्त किये जाने पर ही इसे अंतिम रूप से मान्य समझा जावेगा।
 23. नीलामी के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत/नियुक्त प्राधिकारी का निर्णय अंतिम एवं पक्षकारों को मान्य होगा।
 24. ठेकेदार निगम द्वारा निर्धारित दरों (नीलामी शर्तों के परिशिष्ट - 01 के अनुसार ही) कांजीघर फीस की वसूली करेगा। साथ ही परिशिष्ट -01 अनुसार बोर्ड कांजीघर में सर्व दर्शनीय स्थल पर अनिवार्य रूप से लगाना होगा।
 25. ठेकेदार नगर निगम के कांजीघर में बंद जानवरों का नियमित परीक्षण डॉक्टर से करवायेगा।
 26. कांजीघर में मवेशी के मृत होने पर डॉक्टर से परीक्षण कराकर एवं पंचनामा तैयार कर नगर पालिक निगम, कोरबा को सूचना देने के पश्चात आगे की प्रक्रिया पूर्ण करेगा।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)



कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

राजस्व शाखा - साकेत भवन, आई.टी.आई.चौक, कोरबा (छ0ग0)

दूरभाष : 07759-221288, फ़ैक्स : 07759-221929, पो.बाक्स नं. 12 पिन कोड - 495677

Website : www.korbamunicipal.in, Email : corporationkorba@gmail.com

// 3 //

परिशिष्ट-01

कांजीघरो में आवारा पशुओं को बंद किये जाने हेतु निर्धारित दण्ड की
(संशोधित) दरों की अनुसूची

क्र.	नाम मवेशी	निर्धारित दण्ड	निर्धारित खुराक प्रति जानवर प्रति दिन
1.	भैसा, भैस, पड़वा, पड़िया	250 / -	50 / -
2.	गाय, बैल	250 / -	50 / -
3.	बछड़ा, बछिया	150 / -	30 / -
4.	बकरा, बकरी, भेड़, भेड़ी	100 / -	25 / -
5.	घोड़ा, घोड़ी	300 / -	75 / -
6.	गधा, गधी	250 / -	50 / -
7.	हाथी, हथनी	500 / -	100 / -
8.	टट्टू	150 / -	40 / -

नोट:- इन सबके दूध मुहें बच्चों का जुर्माना एवं खुराक की छूट रहेगी।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)